

cal/para

363

491



IV/ निगं/रीवा/भू-सु०/2017/3270
न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर, रीवा कैम्प,
(म०प्र०) PR-301-



1. साधूलाल सिंह तनय मेरशाह सिंह, उम्र 70 वर्ष,
 2. सिद्धू सिंह (मृतक)
 - 2(क) वंशलाल सिंह उम्र 47 वर्ष,
 - 2(ख) रामलखन सिंह उम्र 32 वर्ष,
 - 2(ग) कैलाश सिंह उम्र 28 वर्ष,
 - 2(घ) दादूलाल सिंह उम्र 19 वर्ष,
 - 2(ङ) तेरसी पत्नी सिद्धू सिंह उम्र 65 वर्ष,
- } सभी के पिता स्व. सिद्धू सिंह

सभी निवासी ग्राम-सरदमन, तहसील-हनुमना, जिला-रीवा (म०प्र०)

-----आवेदकगण/निगराकारगण

आवेदक रातलाल सिंह
नोरा पेशा/13-9-17

बनाम

1. कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा
सिद्धू सिंह उम्र 61 वर्ष,
 2. ललन सिंह उम्र 55 वर्ष,
 3. ददई सिंह उम्र 50 वर्ष,
 4. राजकरण सिंह उम्र 40 वर्ष,
 5. जिल्मा बेवा प्रद्युम्न सिंह, उम्र 75 वर्ष,
 6. शासन, द्वारा- तहसीलदार तहसील हनुमना, वृत्त पहाड़ी,
जिला-रीवा (म०प्र०)
- } सभी के पिता प्रद्युम्न सिंह
निवासी- सरदमन, तह. हनुमना
जिला-रीवा (म०प्र०)

-----अनावेदकगण/गैरनिगराकारगण

पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय एवं आदेश श्रीमान्
तहसीलदार तहसील हनुमना, वृत्त पहाड़ी
प्रकरण क्र. 92ए-6/15-16 आदेश दिनांक


रामलखन सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 3270

जिला-रीवा

साधूलाल सिंह / बबन सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त पहाड़ी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 092/ए-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	